न.ए-60011/05/2017-एमई/प्रशि.
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)
प्रशिक्षण प्रभाग

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011
दिनांक: 14th सितम्बर, 2018

अधिसूचना

यह मंत्रालय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाईजीन एंड पब्लिक हेल्थ, कोलकाता में विद्यमान स्वास्थ्य कर्मी (पुरूष), स्वास्थ्य सहायक (पुरूष), स्वास्थ्य कर्मी (महिला), और स्वास्थ्य सहायक (महिला) पद हेतु भर्ती नियमों में संशोधन के प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। इस संदर्भ में भर्ती नियम का प्रारुप तैयार किया गया है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

2. भर्ती नियम में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को अंतिम रुप दिए जाने हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा संघ लोक सेवा आयोग और अन्य एंजेंसियों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले सभी हितधारकों से इस संदर्भ में इस अधिसूचना के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 30 दिन की अवधि के भीतर टिप्पणियां/ सुझाव, यदि कोई हो तो, आमंत्रित किए जाते है। निर्धारित अवधि के भीतर हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/ सुझाव पर मंत्रालय द्वारा नियमों/अपेक्षाओं के अनुसार विचार किया जाएगा।

3. टिप्पणियां/सुझाव अधोहस्ताक्षरित को कमरा सं. 414 ए, डी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को प्रस्तुत की जा सकती है तथा सॉफ्ट प्रति pk.pal62@nic.in पर भेजी जा सकती हैं।

14/9/2018

(प्रदीप कुमार पाल)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23063019

(भारत के राजपत्र के भाग-II खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक: सितम्बर, 2018

अधिसूचना

सां.का.नि.- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय स्वच्छता एवं लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता, स्वास्थ्य सहायक (महिला) और स्वास्थ्य कर्मी (महिला) भर्ती नियम, 1993 और अखिल भारतीय स्वच्छता एवं लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 1993 तथा अखिल भारतीय स्वच्छता एवं लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता, स्वास्थ्य कर्मी (पुरूष) प्रारूप भर्ती नियम 1993 और जहां तक उनका संबंध सूची में इंगित पदों से है, सिवाय उन बातों का अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन अखिल भारतीय स्वच्छता एवं लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता में **स्वास्थ्य कर्मी (पुरूष), स्वास्थ्य सहायक (पुरूष), स्वास्थ्य कर्मी (महिला), और स्वास्थ्य सहायक (महिला)** की पदों की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :-

1. *संक्षिप्त नाम और प्रारंभ*:- (1) इन नियमों को अखिल भारतीय स्वच्छता एवं लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता में स्वास्थ्य कर्मी (पुरूष), स्वास्थ्य सहायक (पुरूष), स्वास्थ्य कर्मी (महिला), और स्वास्थ्य सहायक (महिला) भर्ती नियम 2018 कहा जाएगा।
   (2) यह सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. *पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर*:- पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. ***इन पदों से जुड़ी हुई भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि:-*** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. ***निरर्हता:-*** वह व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है जिसका पति या पत्नी जीवित है; या

(ख) जिसने एक पति/एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह की संविदा की है उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा:-

परंतु यदि केंद्रीय सरकार इससे सहमत है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:-** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति:-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयनित पद है अथवा अचयनित	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	**प्रत्यक्ष भर्ती हेतु अपेक्षित शिक्षा तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
स्वास्थ्य कर्मी (महिला)	24* (2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है।)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	7वें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-2 (दो)	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों और आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यिार्थियों के मामले में 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यार्थियों से आवदेन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले का लाहौल एवं स्पीति जिला तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड और अण्डमान और निकोबार, द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप के अभ्यार्थियों के लिए विहित की गई है। पद के संबंध में, जिस पर नियुक्ति रोजगार केंद्र के जरिए की जाती है, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तिथि वह अंतिम तिथि होगी जिस तारीख को रोजगार केंद्र से नाम प्रस्तुत करने को कहा जाता है।	(क) अनिवार्य: (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक/10+2 या इसके सदृश्य। (ii) राज्य नर्सिंग परिषद) द्वारा मान्यता प्राप्त सहायक नर्स मिड वाईफरी प्रमाण-पत्र (iii) नर्सिंग और मिडवाईफरी दोनों में एएनएम/स्वास्थ्य कर्मी (महीला) के रूप में भारतीय/राज्य नर्सिंग परिषद के साथ पंजीकरण हो। (ख) वांछनीय: अंग्रेजी और बंगाली में कार्य का कार्यसहायक ज्ञान। नोट: 1. यदि उम्मीदवार सुयोग्य है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने विवेक पर अनुभव से संबंधित योग्यता में छूट दी जा सकती है। 2. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में, यदि चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी के विचार में इन समुदायों से पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों के पास उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव न हो, तो सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक पर अनुभव से संबंधित योग्यता में छूट दे सकता है।

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिणिक योग्यताएं पदोन्नत होने वाले व्यक्तियों के मामले में भी लागू होंगी।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की विधि: क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन ग्रेड द्वारा भर्ती के मामले में, जिनसे पदोन्नति/प्रति-नियुक्ति/आमेलन किया जाना है।	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, उसकी संरचना कैसी है।	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करने हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	**स्वास्थ्य कर्मी (महिला)** के पद पर चयन हेतु चयन समिति:- (1) अपर निदेशक, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता - अध्यक्ष; (2) प्रोफेसर/सीएमओ (एनएफएसजी) - सदस्य; (3) एससी/एसटी वर्ग से एक वरिष्ठ समूह - 'क' अधिकारी - सदस्य (4) प्रशासनिक अधिकारी, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता - सदस्य;	लागू नहीं

फा.सं. ....

अवर सचिव, भारत सरकार

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयनित पद है अथवा अचयनित	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	**प्रत्यक्ष भर्ती हेतु अपेक्षित शिक्षा तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
स्वास्थ्य सहायक (महिला)	16* (2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है।)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	7वें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-4 (चार)	गैर-चयन	18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों और आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यिर्थियों के मामले में 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यार्थियों से आवदेन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले का लाहौल एवं स्पीति जिला तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड और अण्डमान और निकोबार, द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप के अभ्यार्थियों के लिए विहित की गई है। पद के संबंध में, जिस पर नियुक्ति रोजगार केंद्र के जरिए की जाती है, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तिथि वह अंतिम तिथि होगी जिस तारीख को रोजगार केंद्र से नाम प्रस्तुत करने को कहा जाता है।	(क) अनिवार्य: (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक/10+2 या इसके सदृश्य। (ii) राज्य नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त सहायक नर्स मिड वाईफरी प्रमाण-पत्र (iii) नर्सिंग और मिडवाईफरी दोनों में एएनएम/स्वास्थ्य कर्मी (महीला) के रूप में भारतीय/राज्य नर्सिंग परिषद के साथ पंजीकरण हो। (iv) किसी राज्य/केंद्रय सरकारी संगठन में एएनएम/स्वास्थ्य कर्मी (महिला) के रूप में पांच वर्षो के कार्य का अनुभव। (ख) वांछनीय: अंग्रेजी और बंगाली में कार्यसहायक ज्ञान। नोट: 1. यदि उम्मीदवार सुयोग्य है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने विवेक पर अनुभव से संबंधित योग्यता में छूट दी जा सकती है। 2. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में, यदि चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी के विचार में इन समुदायों से पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों के पास उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव न हो, तो सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक पर अनुभव से संबंधित योग्यता में छूट दे सकता है।

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिणिक योग्यताएं पदोन्नत होने वाले व्यक्तियों के मामले में भी लागू होंगी।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की विधि: क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन ग्रेड द्वारा भर्ती के मामले में, जिनसे पदोन्नति/प्रति-नियुक्ति/आमेलन किया जाना है।	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, उसकी संरचना कैसी है।	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करने हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
8	9	10	11	12	13
आयु- नहीं शैक्षणिक योग्यता- नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसमें विफल रहने पर सीधी भर्ती द्वारा	ग्रेड में 8 वर्षों की नियमित सेवा के पश्चात स्वास्थ्य कर्मी (महिला) से पदोन्नति	स्वास्थ्य सहायक (महिला) के पद हेतु पदोन्नति/चयन के लिए पदोन्नति/चयन समिति:- (1) अपर निदेशक, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता - अध्यक्ष; (2) प्रोफेसर/सीएमओ (एनएफएसजी) - सदस्य; (3) एससी/एसटी वर्ग से एक वरिष्ठ समूह - 'क' अधिकारी - सदस्य (4) प्रशासनिक अधिकारी, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता - सदस्य;	लागू नहीं

फा.सं. ....

अवर सचिव, भारत सरकार

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयनित पद है अथवा अचयनित	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	**प्रत्यक्ष भर्ती हेतु अपेक्षित शिक्षा तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
स्वास्थ्य सहायक (पुरूष)	10* (दस) (2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है।)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	7वें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-2 (दो)	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों और आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यिार्थियों के मामले में 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यार्थियों से आवदेन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले का लाहौल एवं स्पीति जिला तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड और अण्डमान और निकोबार, द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप के अभ्यार्थियों के लिए विहित की गई है। पद के संबंध में, जिस पर नियुक्ति रोजगार केंद्र के जरिए की जाती है, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तिथि वह अंतिम तिथि होगी जिस तारीख को रोजगार केंद्र से नाम प्रस्तुत करने कहा जाता है।	(क) अनिवार्य: (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक/10+2 या इसके सदृश्य। (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सेनेटरी निरीक्षक पाठ्यक्रम में डिप्लोमा। (ख) वांछनीय: अंग्रेजी और बंगाली में कार्य साधक ज्ञान। नोट: 1. यदि उम्मीदवार सुयोग्य है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने विवेक पर अनुभव से संबंधित योग्यता में छूट दी जा सकती है। 2. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में, यदि चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी के विचार में इन समुदायों से पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों के पास उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव न हो, तो सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक पर अनुभव से संबंधित योग्यता में छूट दे सकता है।

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिणिक योग्यताएं पदोन्नत होने वाले व्यक्तियों के मामले में भी लागू होंगी।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की विधि: क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन ग्रेड द्वारा भर्ती के मामले में, जिनसे पदोन्नति/प्रति-नियुक्ति/आमेलन किया जाना है।	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, उसकी संरचना कैसी है।	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करने हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	**स्वास्थ्य कर्मी (पुरूष)** के पद के लिए चयन हेतु चयन समिति:- (1) अपर निदेशक, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता - अध्यक्ष; (2) प्रोफेसर/सीएमओ (एनएफएसजी) - सदस्य; (3) एससी/एसटी वर्ग से एक वरिष्ठ समूह - 'क' अधिकारी - सदस्य (4) प्रशासनिक अधिकारी, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता - सदस्य;	लागू नहीं

फा.सं. ....

अवर सचिव, भारत सरकार

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयनित पद है अथवा अचयनित	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	**प्रत्यक्ष भर्ती हेतु अपेक्षित शिक्षा तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
स्वास्थ्य सहायक (पुरूष)	9* (नौ) (2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन हो सकता है।)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	7वें सीपीसी के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-4 (चार)	गैर-चयन	18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों और आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यार्थियों के मामले में 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यार्थियों से आवदेन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले का लाहौल एवं स्पीति जिला तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड और अण्डमान और निकोबार, द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप के अभ्यार्थियों के लिए विहित की गई है। पद के संबंध में, जिस पर नियुक्ति रोजगार केंद्र के जरिए की जाती है, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तिथि वह अंतिम तिथि होगी जिस तारीख को रोजगार केंद्र से नाम प्रस्तुत करने को कहा जाता है।	(क) अनिवार्य: (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से माध्यमिक/10+2 या इसके सदृश्य। (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सेनेटरी निरीक्षक पाठ्यक्रम में डिप्लोमा। (iii) किसी राज्य/केंद्रीय सरकारी संगठन में एएनएम/स्वास्थ्य कर्मी (पुरूष) के रूप में पांच वर्षों के कार्य का अनुभव। (ख) वांछनीय: अंग्रेजी और बंगाली में कार्यसाधक ज्ञान। नोट: 1. यदि उम्मीदवार सुयोग्य है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने विवेक पर अनुभव से संबंधित योग्यता में छूट दी जा सकती है। 2. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में, यदि चयन के किसी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी के विचार में इन समुदायों से पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों के पास उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव न हो, तो सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक पर अनुभव से संबंधित योग्यता में छूट दे सकता है।

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिणिक योग्यताएं पदोन्नत होने वाले व्यक्तियों के मामले में भी लागू होंगी।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की विधि: क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन ग्रेड द्वारा भर्ती के मामले में, जिनसे पदोन्नति/प्रति-नियुक्ति/आमेलन किया जाना है।	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है, उसकी संरचना कैसी है।	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करने हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
आयु - नहीं योग्यता - नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा जिसमें विफल रहने पर सीधी भर्ती द्वारा	ग्रेड में 8 वर्षों की नियमित सेवा के पश्चात स्वास्थ्य कर्मी (पुरूष) से पदोन्नति	**स्वास्थ्य सहायक (पुरूष)** के पद के लिए पदोन्नति/चयन हेतु पदोन्नति/चयन समिति:- (1) अपर निदेशक, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता - अध्यक्ष; (2) प्रोफेसर/सीएमओ (एनएफएसजी) - सदस्य; (3) एससी/एसटी वर्ग से एक वरिष्ठ समूह - 'क' अधिकारी - सदस्य (4) प्रशासनिक अधिकारी, अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता - सदस्य;	लागू नहीं

फा.सं. ....

अवर सचिव, भारत सरकार